

4481



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 830501

B 930501



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
विक्रय विलेख

यह विक्रय विलेख आज दिनांक 08 माह 03 वर्ष 2019 की उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम 1965 के अधीन गठित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, जिसका प्रधान कार्यालय लखनऊ में है। जिसे एतद् भ्रष्टाचर "परिषद" कहा गया है जिसका कार्य उसके आवास आयुक्त के माध्यम से होता है और जिस पद का तात्पर्य और जिसमें जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त परिषद इसका पद धारक उत्तराधिकारी और अभ्यर्षिती है और सम्मिलित है।

(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
दफ्ते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

Tomishay



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 930500

B 930500

[2]

एक पक्ष और श्री पद्म नारायण मिश्र पुत्र स्व० श्री राम अभिलाष मिश्र निवासी-डी-22/4, पेपर मिल कालोनी, निशात गंज, लखनऊ 20000 जिसके एतद्दशात पंजीकृत इच्छुक क्रेता, कहा गया है और जिस पद का तात्पर्य और जिस में जब तक कि कोई बात प्रसंग के प्रतिकूल न हो, उक्त पंजीकृत इच्छुक क्रेता, उसके उत्तराधिकारी, विधिक प्रतिनिधि, निष्पादक और प्रशासक से है और सम्मिलित है दूसरे पक्ष के बीच किया गया, यह प्रदर्शित करता है कि:-

(पी० के० उपाध्याय)

सम्पत्ति प्रबन्धक

स०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद

P. Mishra






उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


B 930499

B 930499

[3]

चूँकि उक्त परिषद् भूमि की स्वामी है और उसने शहर/नगर गाजियाबाद तहसील गाजियाबाद जिला गाजियाबाद में वसुन्धरा नामक मुहल्ले के सैक्टर-15 में स्व0 वित्त पोषित योजना 2011 के अन्तर्गत निर्मित 2बी0एच0के0 प्रकार के शिखर एन्कलेव में फ्लैट संख्या-सी-605 (6th floor) का निर्माण व्यय एवं आनुपातिक समाविष्ट भूमि का कुल मूल्य है और चूँकि उक्त परिषद् ने रू0-41,58,320.00 (रूपया इकतालीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ बीस मात्र) जिसका आधा रू0-20,79,160.00 (रूपया बीस लाख उनासी हजार एक सौ साठ मात्र) होता है, के प्रतिफल स्वरूप उक्त सम्पत्ति संख्या-सी-605 को जिसका पूर्ण विवरण और जिसकी माप इस विलेख से संलग्न अनुसूची "क" में उल्लिखित है। (जिसे एतदपश्चात उक्त सम्पत्ति के रूप में निर्दिष्ट किया गया है) बेचने का प्रस्ताव किया है और चूँकि इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद् से उक्त मूल्य पर और इस विलेख में वर्णित निबन्ध और शर्तों के अधीन क़य करने के लिए सहमत है


(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद्
कृ०- आवास आयुक्त, गाजियाबाद



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH



(पी० के० उपाध्याय)
सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद



B 930498

[4]

अतएव अब रू०-41,58,320.00 (रूपया इकतालीस लाख अट्ठावन हजार तीन सौ बीस मात्र) धनराशि के प्राप्तेफलस्वरूप और सभी सम्बद्ध पक्षों के लिए इसमें समाविष्ट निबन्धन और शर्तों के अधीन परिषद एतद् द्वारा वसुन्धरा योजना में स्थित सम्पूर्ण सम्पत्ति और संरचना सम्पत्ति संख्या-सी-605 जिसे नीचे दी गई अनुसूची में और अधिक पूर्णरूप से वर्णित किया गया है, इच्छुक क्रेता को उसे निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों के अधीन सर्वदा घृत करने के लिए विक्रय और अन्तरित करती है:-

- 1- परिषद को उक्त सम्पत्ति का जो ऐसे प्रयोजन के अनुसरण में जिसके लिए परिषद का गठन किया गया था, एतद्द्वारा विक्रय किया गया हो, हस्तान्तरण करने का पूर्ण अधिकार और स्पष्ट प्राधिकार है।
- 2- एतद्द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पत्ति समस्त भार से मुक्त है।
- 3- उक्त सम्पत्ति का वास्तविक कब्जा इच्छुक क्रेता को प्रदत्त किया गया, अथवा किया जाना है।
- 4- इच्छुक क्रेता उक्त सम्पत्ति को परिषद द्वारा या उक्त परिषद के अधीन दावा

[Signature]

(पी० के० उपाध्याय)

सम्पत्ति प्रबन्धक
उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 930497

B 930497

[5]

करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा उत्पन्न किसी व्यवधान या बाधा के बिना ग्रहीत करेगा और उसको उपभोग करेगा।

5-यदि इच्छुक क्रेता एतद द्वारा हस्तान्तरित उक्त सम्पूर्ण सम्पत्ति या उसके किसी भाग से किसी पूर्ववर्ती भार ग्रस्तता, किन्हीं दावों या मांगों के कारण या उक्त परिषद के त्रुटियुक्त हक के कारण वंचित किया जाय तो उक्त परिषद इच्छुक क्रेता को युक्तियुक्त सीमा तक हानि, क्षति और खर्च की क्षतिपूर्ति करेगी।

6-उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक क्रेता ने इसे उक्त परिषद द्वारा यथा प्रस्तावित भूखण्डों और मकानों के इच्छुक क्रेताओं को पंजीकरण की योजना से संबंधित नियमों और अनुदेशों के अधीन कय किया है और इसमें ऐसे संशोधन या परिवर्द्धन किए जा सकेंगे जो समय-समय पर प्रस्तावित और लागू किये जायें जिनमें से कुछ नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:-

(क) सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया गया है और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी और न ही कोई दावा इस सम्बन्ध में स्वीकार्य होगा।

Tomishary

(पी० के० उपाध्याय)

सम्पत्ति प्रबन्धक

पी० प्र० आवास एवं विकास परिषद
इलेक्ट्रॉनिक आवास आयुक्त, गाजियाबाद



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 930495

B 930495

[6]

(ख) इच्छुक कंता द्वारा सम्पत्ति का उपयोग केवल आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा।

7- उक्त सम्पत्ति का विक्रय कर दिया गया है और इच्छुक कंता ने इसे इस बात की स्पष्ट और पूरी समझदारी के साथ क्य किया है कि इच्छुक कंता केन्द्रीय या राज्य सरकारों के किसी प्राधिकारी द्वारा परिषद से किसी धनराशि के लिए चाहे जो भी हो, दावा किए गये किन्हीं प्रभारों के आनुपातिक भुगतान के लिए सदैव देनदार रहेगा और यह कि इच्छुक कंता उक्त परिषद की कालोनी में सड़कों, जल सम्पूर्ति, बिजली, सीवर और जल निस्तारण और किन्हीं अन्य सुविधाओं के अनुरक्षण और विनियम जैसी व्यवस्था के प्रभार के प्रति किसी अंशदान के लिए भी जैसी और जब अपेक्षा की जाय, देनदार होगा और इच्छुक कंता द्वारा परिषद को देय ऐसी मासिक या वार्षिक धनराशि उक्त सम्पत्ति संख्या-सी-605 पर प्रथम प्रभार के रूप में होगी और परिषद उक्त धनराशि को 13.5 प्रतिशत (तेरह दशमलव पाँच प्रतिशत) की दर से ब्याज सहित पंजीकृत कंता से वसूल करने की विधिक रूप से हकदार होगी।

Wishy

4
(पी० के० उपाध्याय)

सम्पत्ति प्रबन्धक

उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
कृते- आवास आयुक्त, गाजियुबाद